

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1-प्रधानाचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर,
प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज,
जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर,
सहारनपुर, बौदा, बदायूँ।

2- प्रधानाचार्य,

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद,
शाहजहाँपुर।

3- निदेशक,

डा० आर०एम०एल० संस्थान, लखनऊ /
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर
नोयडा।

4-अधिष्ठाता,

के०जी०एम०यू०, लखनऊ / उ०प्र०
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

5-प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,

निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेंटल कालेज, उत्तर प्रदेश।

संख्या-एम०ई०-3/2021/1087

लखनऊ, दिनांक-13 अप्रैल 2021

विषय- एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं की इन्टर्नशिप की अनापत्ति प्रदान न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्वितीय लहर (Wave) तीव्र गति से बढ़ रही है और उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं की इन्टर्नशिप स्थानान्तरण पर अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगायी जाती है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कोविड-19 के चिकित्सा उपचार हेतु आपके कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की इन्टर्नशिप अपने कालेज/विश्वविद्यालयों/संस्थान से ही करायी जाये।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भमदीप

8/c

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक